(ख) क्या यह सच है कि रक्षा वाहनों से दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष 12 से 13 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाता है ; यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1971 से 1982 (सितम्बर, 1982 तक) की अवधि में 4,053 दुर्घटनाएं हुई जिनमें रक्षा वाहन अन्तर्ग्रस्त थे। दिल्ली, कानपूर, और बम्बई में हुई ऐसी दुर्घटनाओं की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दिल्ली	कानपुर	बम्बई
1971	42	5	54
1972	44	7	34
1973	34	5	75
1974	36	—	69
1975	20	1	73
1976	26	3	76
1977	17	5	54
1978	9	2	92
1979	20	2	101
1980	21	—	86
1981	22	1	76
1982	14	3	59

1971 से 1982 (सितम्बर, 1982 तक) की अवधि में 1,04,79,456.01 रुपये की राशि मुआवजे के रुप में अदा की गई थी। मुआवजा विभिन्न अदालतों के निर्णयों के अनुसार तथा अदालत से बाहर किए गए समझौतों में अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों के रूप में दिया जाता है।

(ख) 1971 से सितम्बर, 1882 तक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हुए रक्षा वाहनों के लिए अब तक 1,04,79,456.01 रुपये का मुआवजा दिया गया है। पिछले (लगभग) 12 वर्षों के दौरान अदा किए गए मुआवजे की राशि 8,73,288.00 रुपये प्रति वर्ष है न कि 12 से 13 लाख रुपये। प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है और यदि रक्षा वाहन के चालक की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल में मुकादमा चलाकर अथवा अन्य अनुशासनिक/कानूनी उपायों के जरिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

बैंकों में समयोपरि भत्ते में कमी

1016. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें समयोपरि भत्ते की राशि में वर्ष 1981 में ली गई समयोपरि भत्ते की राशि की तुलना में कमी कर दी गई है तथा पांच महीनों के दौरान कितनी कमी की गई ; और

(ख) समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी करने के संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982 की पहली छमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अदा की गई समयोपरि भत्ते की कुल राशि 5.66 करोड़ रुपये थी (अनन्तिम), जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अदा की गयी राशि 19.69 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। इस प्रकार इन छः महीनों की अवधि में इसमें 14 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसकी बैंकवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी में कड़ी सतर्कता बरतने तथा इस पर नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने के वास्ते अनुदेश दिये हैं कि इस प्रकार की अदायगी केवल तभी की जाए जबकि ऐसा करना पूर्णतः अनिवार्य हो जाए।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ते की अदायगी

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	जनवरी से जून 1981 तक	जनवरी से जून 1982 तक	जनवरी से जून 1981 के मुकाबले जनवरी से जून 1982 का प्रतिशत
1.	देना बैंक	62.40	0.50	0.80
2.	बैंक आफ बड़ौदा	182.31	12.24	6.71
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	22.09	1.79	8.10
4.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	22.51	2.59	11.51
5.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	574.77	129.76	22.58
6.	इंडियान ओवरसीज बैंक	81.19	18.37	22.63
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	50.50	13.00	25.74
8.	बैंक आफ इंडिया	195.89	50.58	25.82
9.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	44.67	12.21	27.33
10.	न्यू बैंक आफ इंडिया	29.80	8.60	28.86
11.	विजया बैंक	9.72	3.25	33.44
12.	केनरा बैंक	18.89	7.10	37.59
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	85.36	32.34	37.89
14.	सिंडिकेट बैंक	31.66	12.18	38.47
15.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	28.00	11.12	39.71
16.	कारपोरेशन बैंक	5.11	2.09	40.90
17.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	103.24	43.02	41.67
18.	पंजाब एंड सिंध बैंक	35.80	15.00	41.90
19.	आंध्रा बैंक	0.82	0.36	43.37
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	27.54	12.01	43.61
21.	इंडियन बैंक	54.94	24.29	44.21
22.	बैंक आफ महाराष्ट्र	54.01	24.27	44.94
23.	इलाहाबाद बैंक	35.91	16.50	45.95
24.	पंजाब नेशनल बैंक	72.68	33.71	46.38
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	11.77	5.59	47.49
26.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	14.00	7.49	53.50
27.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	82.50	48.73	59.07
28.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	31.22	17.87	57.24
	जोड़	1969.31	566.56	28.77

(आंकड़े अनन्तिम हैं)